तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
31.01.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी डुंगरसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सिलोईया, तहसील व जिला– सिरोही व अन्य के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। अप्रार्थी कैलाश कुमार पुत्र जगताराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिलोईया, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत उपस्थित। अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 18.6.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई अपील के साथ साथ अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर उक्त निर्णय दिनांक 18.6.2024 की क्रियान्विति एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित करवाने व मौके की यथास्थिति बनाये रखवाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (कैलाश कुमार) की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही हुआ। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28.01.2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विवादित कृषि भूमि का प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में तहसीलदार, सिरोही ने कानूनन भूल की है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कैलाश कुमार की भूमि पर अवैध कब्जा नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाये बिना ही व सीमाज्ञान करवाये बिना ही अप्रार्थी कैलाश कुमार के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व, टीम गठित कर विवादित भूमि की मुस्तकील बिन्दु से पैमाईश करवाकर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर भी नही दिया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था जिसको निर्णित किये बिना ही प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया है। यह कि उक्त निर्णय की आड़ में प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील उक्त निर्णय की क्रियान्विति एवं प्रभाव को स्थगित रखते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी कैलाश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री बालावत ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी कैलाश कुमार की खातेदारी कृषि भूमि के मध्य भाग को छोडकर पूर्व दिशा के आंशिक भाग पर डूंगरसिंह व जब्बरसिंह द्वारा कब्जा व पश्चिम दिशा के आंशिक भाग पर जुजाराम व धनाराम पुत्र ......लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

बाबाजी कलबी, निवासी–सिलोईया द्वारा अवैध कब्जा करने से कब्जा छुडवाने हेतु तहसीलदार, सिरोही को धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण दर्ज किया बाद सुनवाई एवं बाद जांच सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.6.2024 को पारित करके अप्रार्थी कैलाशकुमार को दिनांक 10.7.2024 को उक्त भूमि का कब्जा दिलवा दिया है। तत्पश्चात् अप्रार्थी कैलाश कुमार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 14.8.2024 को संपरिवर्तन करवाया गया है। अब विवादित भूमि आवासीय संपरिवर्तित भूमि है। ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी कैलाश कुमार के पक्ष में है व स्थगन आदेश जारी करने से अप्रार्थी कैलाश कुमार को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा अप्रार्थी कैलाश कुमार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया तो यह पाया कि न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 18.6.2024 की पालना में अप्रार्थी कैलाश कुमार को दिनांक 10/7/2024 को भूमि का कब्जा सुपर्द किया जा चुका है। अप्रार्थी कैलाश कुमार द्वारा उसकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का दिनांक 14.8.2024 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भी करवाया गया है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी कैलाश कुमार के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते *सिरोही*